रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1274] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2008/भाद्र 19, 1930

No. 1274] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2008/BHADRA 19, 1930

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2008

का.आ. 2184(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 52 के उप-पैराग्राफ (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 9 जुलाई, 2003 के सं. का.आ. 2125 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुक्रम में, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि लोकप्रिय निवेश पद्धति के अनुरूप, विद्यमान पैराग्राफ (iii) को निम्नांकित पैराग्राफ से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"(iii) (क) कम्पनी अधिनियम की धारा 4(1) के तहत यथाविनिर्दिष्ट "लोक वित्तीय संस्थानों" के बॉन्ड/प्रतिभूतियां; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(26-क) में यथा परिभाषित "सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां"; और/या	30%
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी अल्पावधि (1 वर्ष से कम) सावधि जमा रसीदें; और/या	
(ग) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा जारी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित समपार्श्विक लेनदारी और देनदारी देयता ।	

यह व्यवस्था भी की जाती है कि उक्त (iii)(ग) के तहत समपार्श्विक लेनदारी और देनदारी देयता में निवेश, किसी भी समय आर्थिक अभिवृद्धियों के 5% से अधिक नहीं होगी और निवेश के इस माध्यम का केवल कार्यावधि समाप्ति पर निष्क्रिय निधियों का ठहराव रोकने के प्रयोजन से उपयोग किया जाएगा ।"

[फा. सं. एस-65025/2/07-एस एस-II (खण्ड II)]

एस. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2008

S.O. 2184(E).— In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 52 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, and in continuation of Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment published in the Gazette of India *vide* No. S.O. 2125 dated the 9th July, 2003, Central Government hereby directs that in the pattern of investment in vogue, the existing paragraph (iii) shall be replaced by the following paragraph :—

"(iii) (a) Bonds/Securities of "Public Financial Institutions" as specified under Section 4(1) of the Companies Act; "Public Sector Companies" as defined in Section 2(26-A) of the Income Tax Act, 1961 including public sector banks; and/or	30%
(b) Short duration (less than one year) Term Deposit Receipts issued by public sector banks; and/or	
(c) Collateral Borrowing and Lending Obligation (CBLO) issued by Clearing Corporation of India Limited and approved by the Reserve Bank of India.	

It is further provided that the investment in CBLO under (iii)(c) above shall not exceed 5% of the incremental accretions at any point of time and this route of investment shall be utilized only with a view to avoid parking of idle funds in the account at the end of the day."

[F. No. S-65025/2/07-SS-II (Vol. II)]

S. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

3399 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.